



## अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना

BCA में प्रवेश के इच्छुक समस्त छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शासन के पत्र क्रमांक 578/192 आयुक्त उच्च शिक्षा/गु.प्र./24, नवा रायपुर दिनांक 23.07.2024 के अनुसार कंडिका क्रमांक-7 में BCA पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम में आंशिक संशोधन किया गया है जो कि निम्नानुसार है :-

कंडिका क्रमांक-7 - "BCA पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले वे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 12वीं में गणित विषय नहीं लिया था उनके लिए गणित विषय का एक जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स (MAGE 01) का अध्ययन ब्रिज कोर्स के रूप में किया जाना अनिवार्य था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन के अनुसार ऐसे विद्यार्थियों को MAGE 01 (Elementary Calculas) एवं MAGE 02 में से कोई एक जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स अनिवार्यतः चयन करना होगा जो नॉनक्रेडिटेबल होगा। यह कोर्स ब्रिज कोर्स के समतुल्य माना जायेगा।"

उपर्युक्त संशोधन के प्रभावशील होने के कारण BCA में प्रवेश के लिए सभी संकाय के विद्यार्थी पात्र हैं।

संलग्न :- उपरोक्त प्रपत्र

  
(डॉ. राजेश पांडे)

प्राचार्य

शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

PRINCIPAL  
SRVT DANVEER TULARAM COLLEGE  
UTAI (DURG C.)

**कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय**  
ब्लॉक -3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)  
Email- slqaccg@gmail.com, Website - highereducation.cg.gov.in

क्र. 518/192/आउशि / गु.प्र. / 2024

नवा रायपुर, दिनांक : 23/07/2024

प्रति,

1. कुलरायिच,  
समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
2. प्राचार्य  
समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, छत्तीसगढ़

**विषय: सत्र 2024-25 हेतु प्रेषित विषय समूह, कोर्स करिकुलम एवं GE/VAC Pool में टंकण/स्कैन त्रुटि सुधार विषयक।**

- संदर्भ: 1. उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 459/237/आउशि/समन्वय/2024 दिनांक 02.07.2024  
2. उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 544/192/आउशि/गु.प्र./2024 दिनांक 14.06.2024  
3. उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 564/192/आउशि/गु.प्र./2024 दिनांक 12.07.2024

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्रेषित विषय समूह, कोर्स करिकुलम एवं इलेक्टिव कोर्सेस पूल में टंकण/स्कैन त्रुटियाँ एनईपी टास्क फोर्स के संज्ञान में आई हैं तथा प्राचार्यों द्वारा दिनांक 12.07.2024 की बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर दिशा निर्देश मांगा गया है। तदनुसार निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है -

1. प्रेषित विषय समूह सूची अन्तर्गत कला संकाय के विषय समूह में लोक प्रशासन विषय/डिसीप्लीन अंकित नहीं है, जिसे सम्मिलित किया जाता है। अतः कला संकाय हेतु प्रेषित विषय समूह सूची के पंक्ति-2 को Political Science / Public Administration / Home Science / Fine Art / Drawing & Painting पढ़ा जाये।
2. कला संकाय में शामिल गृह विज्ञान विषय/डिसीप्लीन हेतु करिकुलम कोड HSSC-01, HSSC-02, - - - अंकित हो गये हैं जिसे HOSC-01, HOSC-02, - - - होना है, क्योंकि HSSC-01, HSSC-02, - - - गृहविज्ञान संकाय के लिये निर्धारित किये गये हैं। अर्थात् कला संकाय के गृहविज्ञान विषय/डिसीप्लीन के समस्त कोड हेतु HS के स्थान पर HO पढ़ा जाये।
3. कला संकाय में शामिल मनोविज्ञान विषय/डिसीप्लीन हेतु करिकुलम कोड PSSC-01, PSSC-02, - - - अंकित हो गये हैं जिसे PCSC-01, PCSC-02, - - - होना है, क्योंकि PSSC-01, PSSC-02, - - - राजनीति विज्ञान विषय/डिसीप्लीन के लिये निर्धारित किये गये हैं। अर्थात् मनोविज्ञान विषय/डिसीप्लीन के समस्त कोड हेतु PS के स्थान पर PC पढ़ा जाये।
4. उपलब्ध कराये गये समस्त विषयों के कोर्स करिकुलम की स्कैन प्रतियों में समस्त VAC एवं SEC कोर्स संबंधित विषयों के कोर्स करिकुलम (DSC/DSE/GE) के साथ ही उपलब्ध हैं जिन्हें आवश्यकतानुसार पृथक कर उपयोग किया जाये।
5. SPVAC-01 (Sports and Healthy Life) का कोर्स करिकुलम नृत्य (कथक) के कोर्स करिकुलम के साथ तथा LIVAC-01 (Library & Information Resources), LIVAC-02 (Open Access and Scholarly Communication) एवं LISEC-01 (Literature Review and Reference Management) के कोर्स करिकुलम कम्प्यूटर साइन्स के कोर्स करिकुलम के साथ संलग्न हैं।



6. विदित हो कि फ़ेमवर्क अनुरूप VAC का अध्ययन I / III / V सेमेस्टर में किया जाना है। यदि किसी VAC करिकुलम के पार्ट-A अन्तर्गत सेमेस्टर वाले खण्ड में टंकण त्रुटीवश कुछ अन्य अंकित हो गया हो तो उसे सेमेस्टर I/III/V ही पढ़ा जाये। उसी प्रकार SEC का अध्ययन II / IV / V / VI सेमेस्टर में किया जाना है। यदि किसी SEC करिकुलम के सेमेस्टर वाले खण्ड में टंकण त्रुटीवश कुछ अन्य अंकित हो गया हो तो उसे सेमेस्टर II/IV/V/VI ही पढ़ा जाये।
7. संदर्भित पत्र क.3 के अनुसार BCA पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले वे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 12वीं में गणित विषय नहीं लिया था उनके लिए गणित विषय का एक जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स (MAGE 01) का अध्ययन ब्रिज कोर्स के रूप में किया जाना अनिवार्य था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन के अनुसार ऐसे विद्यार्थियों को MAGE 01 एवं MAGE 02 में से कोई एक जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स अनिवार्यतः चयन करना होगा जो नॉनक्रेडिटेबल होगा। यह कोर्स ब्रिज कोर्स के समतुल्य माना जायेगा।

उपरोक्तानुसार सुधार के साथ करिकुलम फ़ेमवर्क के प्रावधानानुसार ही समस्त कोर्सेस के अध्यापन/पाठ्यक्रम का समुचित संचालन करना सुनिश्चित करें।

(शारदा वर्मा)

आयुक्त

उच्च शिक्षा संचालनालय,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र. 519 / 192 / आउशि / गु.प्र. / 2024

नवा रायपुर, दिनांक : 23 / 07 / 2024

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. टास्क फोर्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर को सूचनार्थ।

आयुक्त

उच्च शिक्षा संचालनालय,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)